एफ.सी.-136 (कार्यवृत्त)
25.04.2025

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
हौज़ खास, नई दिल्ली – 110016

शुक्रवार, 25 अप्रैल 2025, सायं 05:30 बजे आयोजित
वित्त समिति की 136वीं बैठक के कार्यवृत्त

वित्त समिति की 136वीं बैठक 25 अप्रैल 2025 को सायं 05:30 बजे सीनेट कक्ष / ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1. एडवोकेट हरीश साल्वे*	अध्यक्ष
2. प्रो. रंगन बनर्जी, निदेशक, आई.आई.टी. दिल्ली	सदस्य
3. प्रो. एम.आर. रवि*, यांत्रिक इंजीनियरी, आई.आई.टी. दिल्ली	सदस्य
4. प्रो. टी.आर. श्रीकृष्णन, उप निदेशक (प्रचालन), आई.आई.टी. दिल्ली	विशेष आमंत्रिती
5. प्रो. अम्बुज डी. सागर, उप निदेशक (रणनीति एवं योजना), आई.आई.टी. दिल्ली	विशेष आमंत्रिती
6. प्रो. कृष्ण अच्युताराव, संकायाध्यक्ष, संकाय, आई.आई.टी. दिल्ली	विशेष आमंत्रिती
7. प्रो. विवेक वी. बुवा, संकायाध्यक्ष, योजना, आई.आई.टी. दिल्ली	विशेष आमंत्रिती
8. प्रो. दीप्ति रंजन साहू, संकायाध्यक्ष, अवसंरचना, आई.आई.टी. दिल्ली	विशेष आमंत्रिती
9. मोहम्मद शमीम, संयुक्त कुलसचिव (लेखा), आई.आई.टी. दिल्ली	विशेष आमंत्रिती
10. श्री अतुल व्यास, कुलसचिव	सचिव

*ऑनलाइन जुड़े

आरंभ में, सचिव ने वित्त समिति की 136वीं बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।
निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके:

1. श्री प्रशांत अग्रवाल, निदेशक (आई.आई.टी.), शिक्षा मंत्रालय
2. सुश्री नंदिनी पालीवाल, आयुक्त एवं सचिव (टी.टी.ई.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
3. श्री एन.एस. बिश्ट, उप सचिव, आई.एफ.डी., शिक्षा मंत्रालय

अध्यक्ष ने वित्त समिति के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया और बैठक की औपचारिक शुरुआत की।

बैठक के दौरान, शिक्षा मंत्रालय के अवर सचिव (वित्त) के पत्र सं. 1-4/2017-IFD दिनांक 15.04.2025 के माध्यम से प्राप्त टिप्पणियों और शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के अवर सचिव (तकनीकी अनुभाग-I) की टिप्पणियों पर विचार किया गया।

मद संख्या 1: 24 जनवरी 2025 को आयोजित वित्त समिति की 135वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना।

24 जनवरी 2025 को आयोजित 135वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त की, परिचालित किए गए अनुसार, पुष्टि की गई।

मद संख्या 2: वित्त समिति की पूर्व बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई प्राप्त करना।
वित्त समिति की पूर्व बैठक(बैठकों) के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति बोर्ड को सूचित की गई।

1. आई.आई.टी. दिल्ली में 414 सिंगल सीट क्षमता वाले नए महिला छात्रावास के निर्माण के लिए संशोधित प्रारंभिक अनुमानित लागत।

वित्त समिति ने नोट किया कि सी.पी.डब्ल्यू.डी. ने वर्तमान तिथि तक अनुमोदित एवं प्रारंभिक अनुमानित लागत (ए/ए & ई/एस) राशि 44.25 करोड़ रुपए से अधिक कोई मांग नहीं की है।

2. आई.आई.टी. दिल्ली झज्जर परिसर, हरियाणा में परिधि दीवार एवं गार्ड कक्ष/कार्यालय के निर्माण हेतु संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति।
   झज्जर परिसर में अवसंरचना विकास हेतु प्रारंभिक लागत अनुमान पर विचार एवं अनुमोदन।

   वित्त समिति को सूचित किया गया कि सरेंडर की गई भूमि को अधिग्रहित करने के संबंध में हरियाणा सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है। समिति ने सुझाव दिया कि सरेंडर की कार्रवाई एवं वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने के विषय में हरियाणा सरकार से अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

3. आर.के. पुरम भूमि पर आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति पर विचार।

   वित्त समिति को सूचित किया गया कि आर्किटेक्ट मेसर्स एस.जी.ए. द्वारा विस्तृत अनुमानित लागत प्रस्तुत की गई है।

4. आर.आई.टी.ई.एस. को सौंपी गई परियोजनाओं के लिए संशोधित अधिकतम अनुमेय मानकों के अनुसार सभी 5 परियोजनाओं की ऊँचाई बढ़ाने हेतु "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान करने पर विचार।

   समिति को सूचित किया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा भवन लेआउट को अनुमेय ऊँचाइयों के अनुसार संशोधित कर दिया गया है।

   अन्य विषयों को वित्त समिति द्वारा नोट किया गया।

मद संख्या 3 : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31.03.2025 तक चल रही परियोजनाओं के व्यय की स्थिति तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रो. विवेक वी. बुवा, संकायाध्यक्ष (योजना) द्वारा वित्त समिति के समक्ष व्यय की स्थिति तथा वित्तीय प्रगति प्रस्तुत की गई। चल रही परियोजनाओं की भौतिक प्रगति प्रो. दीप्ति रंजन साहू, संकायाध्यक्ष (अवसंरचना) द्वारा प्रस्तुत की गई।

समिति को 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार संस्थान द्वारा किए गए व्यय/अव्ययित शेष राशि के संबंध में सूचित किया गया [परिशिष्ट-1] । साथ ही, चल रही परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।समिति ने प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में व्यय उपयोग की गति, वित्तीय स्थिति एवं भौतिक प्रगति को नोट किया।

मद संख्या 4 : संस्थान के लिए एच.ई.एफ.ए. (चरण-I, चरण-II एवं चरण-III) के अंतर्गत प्राप्त ऋण की स्थिति की सूचना।

प्रो. विवेक वी. बुवा, संकायाध्यक्ष (योजना) द्वारा विषय-वस्तु को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति को एच.ई.एफ.ए. (चरण-I, चरण-II एवं चरण-III) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त ऋण की स्थिति के संबंध में सूचित किया गया, जो निम्नानुसार है :

चरण-I : ₹ 203.60 करोड़ (स्वीकृति तिथि : 17.01.2018)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	गतिविधि / कार्य का नाम	प्रस्तावित आउटले / मांग (₹ करोड़)	स्वीकृत राशि (₹ करोड़)	31-03-2025 तक दिया गया / लिया गया ऋण (₹ करोड़)
1	पुरुष छात्रावास "ई" का निर्माण, दिल्ली	84.34	84.34	84.34
2	414 सिंगल सीट क्षमता वाले महिला छात्रावास का निर्माण	39.26	39.26	38.46

3	केन्द्रीय अनुसंधान सुविधा (सी.आर.एफ.) भवन का निर्माण	15.00	15.00	15.00
4	आई.आई.टी. दिल्ली के सोनीपत परिसर में सी.आर.एफ. हेतु उपकरण	65.00	65.00	48.81
	कुल (चरण-I)	203.60	203.60	186.61

चरण-II : ₹ 321.40 करोड़ एवं ₹ 63.08 करोड़ (स्वीकृति तिथि : 07.01.2019 एवं 06.06.2019)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	गतिविधि / कार्य का नाम	प्रस्तावित आउटले / मांग (₹ करोड़)	स्वीकृत राशि (₹ करोड़)	31-03-2025 तक दिया गया / लिया गया ऋण (₹ करोड़)
1	इंजीनियरी खंड (99बी एवं 99सी, शैक्षणिक क्षेत्र) का निर्माण	238.21	238.21	190.65
2	संकाय हाउस (37बी, पश्चिम परिसर) का निर्माण	101.11	101.11	101.11
3	नालंदा शोधार्थी अपार्टमेंट्स का पुनर्विकास	29.85	29.85	28.10
4	झज्जर, हरियाणा स्थित आई.आई.टी. दिल्ली के विस्तारित परिसर का विकास – परिधि दीवार का निर्माण	3.12	3.12	0.31
5	आई.आई.टी. दिल्ली में इंडोर खेल परिसर का निर्माण	12.19	12.19	11.00
	कुल (चरण-II)	384.48	384.48	331.17

चरण-III : ₹ 35.36 करोड़ (स्वीकृति तिथि : 02-07-2021)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	गतिविधि / कार्य का नाम	प्रस्तावित आउटले / मांग (₹ करोड़)	स्वीकृत राशि (₹ करोड़)	31-03-2025 तक दिया गया / लिया गया ऋण (₹ करोड़)
1	नालंदा शोधार्थी छात्रावास – चरण-II का निर्माण	35.36	35.36	21.54
	कुल	35.36	35.36	21.54

(₹ करोड़ में)

गतिविधि / कार्य का नाम	प्रस्तावित आउटले / मांग (₹ करोड़)	स्वीकृत राशि (₹ करोड़)	31-03-2025 तक दिया गया / लिया गया ऋण (₹ करोड़)
चरण-I+II+III	623.44	623.44	539.32

वित्त समिति ने एच.ई.एफ.ए. ऋण ग्रहण किए जाने के पश्चात किए गए अन्य लेन-देन संबंधी विवरणों तथा अनुपालनों को नोट किया, जिनका विवरण निम्नानुसार है: –

(₹ करोड़ में)

अंतरण की गई राशि:	दिनांक	राशि (₹ करोड़)
मूलधन पुनर्भुगतान हेतु एस्क्रो खाते में अंतरण	31-03-2025	390.04
ब्याज पुनर्भुगतान हेतु एस्क्रो खाते में अंतरण	31-03-2025	82.83
ब्याज पुनर्भुगतान हेतु मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (ओ.एच.-31) के अंतर्गत)	31-03-2025	83.21
₹ 515.54 करोड़ के मूल अवधि ऋण के विरुद्ध मूलधन पुनर्भुगतान	31-03-2025	330.38
बैंक को भुगतान किया गया ब्याज	31-03-2025	84.86

(₹ करोड़ में)

31-03-2025 तक दिया गया / लिया गया ऋण	चरण-I	चरण-II	चरण-III	कुल
2018-2019	17.29	49.02	—	66.31
2019-2020	72.10	71.81	—	143.91
2020-2021	52.90	81.92	—	134.82
2021-2022	30.66	26.11	—	56.77
2022-2023	10.13	27.00	3.53	40.66
2023-2024	2.61	60.31	9.65	72.57
कुल (2018-2024 तक)	185.69	316.17	13.18	515.04
2024-2025 (31-03-2025 तक)	0.92	15.00	8.36	24.28
कुल	186.61	331.17	21.54	539.32

मद संख्या 5: संकाय यात्रा अनुदान के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रो. विवेक वी. बुवा, संकायाध्यक्ष (योजना), आई.आई.टी. दिल्ली ने वित्त समिति के समक्ष कार्यसूची प्रस्तुत की।

वित्त समिति को सूचित किया गया कि संकाय सदस्यों को वर्तमान में दिया जाने वाला व्यावसायिक विकास भत्ता (पी.डी.ए.) 3 वर्ष की अवधि (ब्लॉक अवधि) हेतु ₹ 3 लाख है, जिसे पिछले 16 वर्षों से संशोधित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी के लिए यात्रा व्यय, सम्मेलन शुल्क एवं आवास व्यय में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए यह राशि अपर्याप्त है।

समिति को यह भी सूचित किया गया कि जिन संकाय सदस्यों द्वारा 3 वर्ष की अवधि में अपने पी.डी.ए. का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है, उन्हें अनुसंधान एवं विकास इकाई (आई.आर.डी.) से ₹ 1 लाख की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध है, तथापि यह राशि भी विशेषकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी हेतु पर्याप्त नहीं है।

समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में संस्थान संसाधनों (जैसे संस्थान राजस्व, आई.आर.डी. अथवा अक्षय निधि) से वर्तमान ₹ 1 लाख के अतिरिक्त ₹ 2 लाख का एक अतिरिक्त संकाय यात्रा अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। इससे 3 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु सम्मेलनों में भागीदारी के लिए कुल सहायता ₹ 3 लाख हो जाएगी।

वित्त समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स को निम्नलिखित संस्तुति की:

1. संस्थान संसाधनों (जैसे संस्थान राजस्व, आई.आर.डी. अथवा अक्षय निधि) से 3 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु संकाय सदस्यों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन ₹ 2 लाख का अतिरिक्त संकाय यात्रा अनुदान। वर्तमान में आई.आर.डी. द्वारा प्रदान किया जा रहे ₹ 1 लाख के साथ, प्रस्तावित संकाय यात्रा अनुदान 3 वर्ष की ब्लॉक अवधि के साथ कुल ₹ 3 लाख हो जाएगा।

क. पी.डी.ए. का पूर्ण उपयोग कर लेने वाले संकाय सदस्य ही संकाय यात्रा अनुदान के पात्र होंगे।

ख. इस अनुदान का उपयोग केवल राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में आमंत्रित व्याख्यान देने या अनुसंधान कार्य प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है।

ग. यह अनुदान केवल राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी से संबंधित खर्चों जैसे राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय यात्रा, सम्मेलन पंजीकरण शुल्क, आवास, वीज़ा, बीमा, डी.ए. और अन्य संबंधित व्यय को कवर करेगा। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पुस्तकें, रसायन, उपभोग्य वस्तुएँ आदि खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता। केवल इकोनॉमी क्लास यात्रा की अनुमति होगी।

घ. पी.डी.ए. के संशोधन के पश्चात इस अनुदान के प्रावधान की समीक्षा की जाएगी।

वित्त समिति (एफ.सी.) ने निदेशक को निधियों की उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त वित्तपोषण स्रोत (जैसे संस्थान राजस्व, आई.आर.डी. अथवा अक्षय निधि) का निर्णय करने हेतु प्राधिकृत करने की संस्तुति की। वित्त समिति ने यह भी संस्तुति की कि "संकाय यात्रा अनुदान" के उपयोग से संबंधित शर्तों [(1)(ए)-(डी)] में आवश्यकतानुसार संशोधन करने हेतु निदेशक को प्राधिकृत किया जाए।

मद संख्या–6 : हितकारी निधि योजना में संशोधनों पर विचार एवं अनुमोदन।
वित्त समिति ने हितकारी निधि योजना (बी.एफ.एस.) में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श किया। उक्त योजना को वर्ष 1990 में अनुमोदित किया गया था तथा वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार, संस्थान में कर्तव्य निर्वहन के दौरान अथवा अध्ययनरत रहते समय दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में दिवंगत कर्मचारी सदस्य या विद्यार्थी सदस्य के विधिक उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति को एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

समिति ने प्रस्तावित संशोधनों एवं उनके औचित्य की समीक्षा की। सदस्यों ने स्वीकार किया कि महंगाई एवं जीवन-यापन की बढ़ती लागत के कारण वर्तमान योजना के अंतर्गत अनुदान राशि का वास्तविक मूल्य समय के साथ अपर्याप्त हो गया है। योजना के उद्देश्य की प्रभावी पूर्ति हेतु अनुदान राशि में वृद्धि आवश्यक मानी गई।

वित्त समिति ने परिशिष्ट-2 में उल्लिखित हितकारी निधि योजना में प्रस्तावित संशोधनों को बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के विचार एवं अनुमोदन हेतु संस्तुत करने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की।

मद संख्या–7 : संस्थान ओवरहेड नीति पर विचार-विमर्श।
प्रो. अम्बुज डी. सागर, उप निदेशक (रणनीति एवं योजना) ने वित्त समिति के समक्ष उक्त मद प्रस्तुत किया। संस्थान ओवरहेड नीति, के संबंध में समिति को सूचित किया गया। यह नीति एक राजस्व घटक के रूप में संस्थान के लिए अनुसंधान एवं अन्य अनुदानों में ओवरहेड को संबोधित करती है। समिति ने नोट किया कि संस्थान के भीतर विभिन्न कार्यालय ओवरहेड घटक सहित अनुदानों के माध्यम हैं। अतः ओवरहेड के प्रति संस्थान के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाली एक सुव्यवस्थित एवं समेकित नीति की आवश्यकता महसूस की गई। समिति को सूचित किया गया कि इस नीति का उद्देश्य संस्थान में ओवरहेड के एकत्रण एवं प्रबंधन हेतु एक मानक रूपरेखा स्थापित करना तथा उनके महत्व के संबंध में एकरूप समझ सुनिश्चित करना है।

समिति ने प्रस्तावित नीति के विभिन्न विभागों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।
विचार-विमर्श के उपरांत समिति ने सहमति व्यक्त की कि यह नीति बेहतर वित्तीय प्रशासन एवं एकरूपता सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
वित्त समिति ने [परिशिष्ट-3] में उल्लिखित संस्थान ओवरहेड नीति को अंतिम विचार एवं अनुमोदन हेतु बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स को संस्तुत किया।

मद संख्या–8 : 11.04.2025 की स्थिति के अनुसार शेष लेखा परीक्षा पैरा की समीक्षा एवं अनुमोदन।
बाह्य लेखा परीक्षा के शेष पैरा की स्थिति वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।
यह पाया गया कि कुल 57 (पूर्व के 44 तथा 13 नए) बाह्य लेखा परीक्षा पैरा अभी भी शेष हैं।
वित्त समिति ने निर्देश दिया कि शेष पैरा के शीघ्र निस्तारण हेतु और अधिक प्रयास किए जाएँ।

मद संख्या–9 : विदेशी संकाय गृह यात्रा योजना पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रो. कृष्ण अच्युताराव, संकायाध्यक्ष (संकाय) ने वित्त समिति के समक्ष कार्यसूची प्रस्तुत की।
समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में एल.टी.सी. स्थायी कर्मचारियों को गृह यात्रा एवं अखिल भारत भ्रमण हेतु प्रदान की जाती है। नए कर्मचारियों को प्रारंभिक दो 4-वर्षीय ब्लॉक में तीन (3) गृह नगर यात्राएँ तथा एक (1) अखिल भारतीय यात्रा की अनुमति है। तथापि, विदेशी संकाय सदस्य, जो भारत के बाहर स्थित अपने गृह नगर की यात्रा हेतु एल.टी.सी. के पात्र नहीं हैं, वर्तमान नीति के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। समिति को यह भी अवगत कराया गया कि विदेशी संकाय सदस्य, यद्यपि अपने गृह नगर (भारत से बाहर) की यात्रा हेतु एल.टी.सी. के पात्र नहीं हैं, तथापि वे संस्थान में शिक्षण, शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों में समान रूप से योगदान देते हैं। समिति ने नोट किया कि वर्तमान नीति से असमानता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे विदेशी संकाय सदस्यों में उत्साह-ह्रास की संभावना है, विशेषकर तब जब उनके कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भारतीय संकाय सदस्यों के समतुल्य हैं।
समिति ने नोट किया कि प्रस्ताव के अनुसार विदेशी संकाय सदस्यों को, उनके जीवनसाथी तथा अधिकतम दो आश्रित बच्चों (18 वर्ष से कम आयु) सहित, आई.आई.टी. दिल्ली में एक वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रत्येक दो वर्ष में एक बार अपने घोषित गृह नगर की यात्रा हेतु एल.टी.सी. का लाभ लेने का विकल्प प्रदान किया जाए।
विमान यात्रा प्रतिपूर्ति को लघुतम मार्ग के इकोनॉमी श्रेणी किराये तक सीमित रखा जाएगा। यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संस्थान की आई.आर.जी. अथवा गैर-एम.ओ.ई. निधियों से की जाएगी।
सदस्यों ने नोट किया कि विदेशी संकाय सदस्य संस्थान के शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिवेश में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु उन्हें समान लाभ प्रदान किया जाना उचित होगा।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत वित्त समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह सहमति व्यक्त की कि निर्दिष्ट शर्तों के साथ विदेशी संकाय सदस्यों को एल.टी.सी. का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना उचित है। यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस योजना के क्रियान्वयन से निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी संकाय सदस्यों का उत्साहवर्धन होगा तथा कार्य–जीवन संतुलन में सुधार होगा।
वित्त समिति ने उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स को संस्तुत किया।

मद संख्या–10 : पॉकेट भत्ता, मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति तथा वार्षिक पारिवारिक आय सीमा के संशोधन के प्रस्ताव पर विचार।

वित्त समिति को पॉकेट भत्ता, मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति तथा वार्षिक पारिवारिक आय सीमा के संशोधन संबंधी प्रस्ताव से अवगत कराया गया। प्रस्ताव निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित था:

1. पॉकेट भत्ते में संशोधन:
समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान में छात्रावास में निवासरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उन विद्यार्थियों को, जिनकी अभिभावकीय आय ₹4.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, निःशुल्क मेस सुविधा तथा ₹250 प्रति माह पॉकेट भत्ता प्रदान किया जाता है। यह पॉकेट भत्ता वर्ष 2005 से संशोधित नहीं किया गया है, जबकि भारत में औसत वार्षिक महंगाई दर लगभग 6.6% रहा है। 20 वर्षों की संचयी वृद्धि के परिणामस्वरूप मूल्य स्तर में लगभग 3.6 गुना वृद्धि हुई है।

समिति ने पॉकेट भत्ता ₹250 प्रति माह से बढ़ाकर ₹1000 प्रति माह किए जाने के प्रस्ताव को नोट किया तथा यह भी प्रस्तावित किया गया कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए इस भत्ते में प्रत्येक 3 से 5 वर्ष में संशोधन किया जाए।

2. मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति का संशोधन:
समिति को सूचित किया गया कि वर्तमान में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के उन विद्यार्थियों को जिनकी पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक है, ₹1000 प्रति माह मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस राशि में वर्ष 2005 से संशोधन नहीं किया गया है, तथा वर्ष 2005 के ₹1000 का वास्तविक मूल्य वर्ष 2025 में लगभग ₹3600 के समतुल्य है। समिति ने मासिक छात्रवृत्ति राशि को ₹1000 से बढ़ाकर ₹4000 किए जाने के प्रस्ताव को नोट किया।

3. वार्षिक पारिवारिक आय सीमा में वृद्धि:

समिति को डी.ओ.पी.टी. पत्र संख्या 36039/1/2019-Estt(Res) के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) की पात्रता हेतु आय एवं संपत्ति सीमा ₹8 लाख प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। समिति ने निःशुल्क मेस एवं पॉकेट भत्ता तथा मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को वर्तमान ई.डब्ल्यू.एस. सीमा ₹8 लाख प्रति वर्ष तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को नोट किया।

शैक्षणिक वर्ष 2025–26 के लिए वित्तीय प्रभाव का विवरण वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति ने नोट किया कि शैक्षणिक वर्ष 2025–26 के लिए संस्थान पर अनुमानित अतिरिक्त कुल वित्तीय भार ₹3,15,09,000 होगा। यह भी नोट किया गया कि उक्त अतिरिक्त वित्तीय भार संस्थान द्वारा अपने उपयुक्त आंतरिक स्रोतों से वहन किया जा सकता है।
सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस बात पर बल दिया कि महंगाई के अनुरूप भत्तों एवं छात्रवृत्तियों में समुचित वृद्धि आवश्यक है, जिससे उनका वास्तविक मूल्य बना रहे तथा विद्यार्थियों को प्रभावी सहायता प्राप्त हो सके।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत वित्त समिति ने सर्वसम्मति से पॉकेट भत्ता, मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति तथा वार्षिक पारिवारिक आय सीमा में निम्नानुसार संशोधन की संस्तुति की:

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु मासिक पॉकेट भत्ता ₹250 से बढ़ाकर ₹1000 किया जाए।
2. पात्र विद्यार्थियों हेतु मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति ₹1000 से बढ़ाकर ₹4000 प्रति माह की जाए।
3. निःशुल्क मेस एवं पॉकेट भत्ता तथा मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को वर्तमान ई.डब्ल्यू.एस. आय सीमा (वर्तमान में ₹8 लाख प्रति वर्ष) के अनुरूप रखा जाए।
4. उपर्युक्त भत्तों में संशोधन सी.पी.आई. महंगाई के आधार पर प्रत्येक 3 वर्ष में प्रस्तावित किया जाए।

वित्त समिति की उपर्युक्त संस्तुतियाँ अनुमोदन हेतु बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के समक्ष प्रस्तुत की जाएँगी।

मद संख्या–11 : वित्तीय वर्ष 2025–26 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'सपोर्ट टू आई.आई.टी. (0920)' योजना के अंतर्गत निधियों के बजट आवंटन की सूचना।

अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या 27-1/2025-TS-1 दिनांक 21-04-2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु 'सपोर्ट टू आई.आई.टी. (0920)' योजना के अंतर्गत बजट आवंटन को वित्त समिति को सूचित किया गया।
वित्त समिति ने निम्नलिखित बजट आवंटनों को नोट किया:

(₹ करोड़ में)

बजट आवंटन 2025–26 ('सपोर्ट टू आई.आई.टी. – योजना कोड 0920' के अंतर्गत)			
ओ.एच.–31	ओ.एच.–35	ओ.एच.–36	कुल
₹460.00	₹90.00	₹354.91	₹904.91

अध्यक्ष ने बैठक में सहभागिता हेतु सभी सदस्यों का धन्यवाद किया।